दिनांक	कार्यवाही
3-2-2020	वकील उभयपक्ष उप०/ त०इ० प्रा०पत्र पर बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 17-2-2020 को पेश हो।
17-2-20	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित है/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त है/का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22-2-2020 को पेश हो। रीडर
22-2-2020	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित है/अनुपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त है/का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20-2-2020 को पेश हो। रीडर
20-2-2020	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित है/अनुपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त है/का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6-3-2020 को पेश हो। रीडर
6-3-2020	वकील उभयपक्ष उप०/ त०इ० प्रा०पत्र पर पुनः बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 16-3-2020 को पेश हो।
16-3-2020	वकील उभयपक्ष उप०। भूमि ख०नं० 2516/0.78 है० ग्राम उदेईकलां व ख० नं० 4030/01.11 है० ग्राम उदेईकलां स की तावफैसला दावा मौका एवं रेकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखने हेतु अप्रार्थीगण को आदेश त०इ० पारित किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद नकलात मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

प्रकरण नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
85/2018	10.8.2018	16-3-2020

1. साकिब पुत्र करीम खां, मुसलमान निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. साहिब पुत्र करीम खां, मुसलमान निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
3. शाकिर पुत्र करीम खां, मुसलमान निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
4. अब्दुल बारी पुत्र करीम खां, मुसलमान निवासी उदेईकलां तह. गंगापुर सिटी
5. शाहिनबानो पुत्री करीम खां पत्नी हारून, मुसलमान निवासी उदेईकलां
6. सलमा पुत्री करीम खां पत्नी सलाम, मुसलमान निवासी रणतालाब कोटा
7. नसरीना पुत्री करीम खां पत्नी तनवीर, मुसलमान नि0 बहतेड —प्रार्थीगण

बनाम

1. तनवीर अहमद पुत्र मुनीर खां, मुसलमान नि0उदेईकलां तह0 गंगापुर सिटी
2. गफूर अहमद पुत्र मुनीर खां, मुसलमान नि0उदेईकलां तह0 गंगापुर सिटी
3. मु0 फातमा बेवा मुनीर खां, मुसलमान नि0उदेईकलां तह0 गंगापुर सिटी
4. लैन्ड होल्डर राज्य सरकार कम सब रजिस्ट्रार तहसीलदार गंगापुर सिटी

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री महेश चन्द अग्रवाल, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से
श्री हर्षवर्धन शर्मा, एडवोकेट, अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है के ग्राम उदेईकलां में स्थित भूमि ख0नं0 892 रकबा 12 बीघा 17 विस्वा, 893 रकबा 5 बीघा 2 विस्वा, 904 व 905 को मिलाकर रकबा 17 बीघा, 965 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा, 1177 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा, 1179 रकबा 2 बीघा 7 विस्वा, 1181 रकबा 1 बीघा 13 विस्वा, 4854 रकबा 3 बीघा 17 विस्वा, 4855 रकबा 2 बीघा 14 विस्वा, 4945 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा, 4946 रकबा 1 बीघा 14 विस्वा, 4947 रकबा 1 बीघा, 4957 रकबा 2 बीघा 16 विस्वा, 5004 रकबा 19 विस्वा, 5006 रकबा 16 विस्वा, 5010 रकबा 1 बीघा 17 विस्वा, 5013 रकबा 11 विस्वा, 5752 रकबा 3 बीघा 5 विस्वा, 5850 रकबा 3 बीघा 9 विस्वा, 5851 रकबा 2 बीघा 1 विस्वा, 5852 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा कुल किता 21 कुल रकबा 72 बीघा 19 विस्वा का तनहा खातेदार तय्यब खां वल्द रहमत खां मुसलमान रहा है जो तैयब खां की कदीमी आराजी रही है जिसका इन्द्राज खतौनी बन्दोवस्त सं0 2008 में खाता संख्या 163 पर दर्ज है। ख0नं0 906 रकबा 5 बीघा 9 विस्वा भी तैयब खां वल्द रहमत खां के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी रही है जिसका इन्द्राज खतौनी सं0 2008 में दर्ज है

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

जिसका खाता संख्या 165 है। ख0नं0 1165 रकबा 2 बीघा 11 विस्वा, 1166 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 1 विस्वा का इन्द्राज खतौनी तैयब खां वल्द रहमत खां हिस्सा 1/2 इवादत खां वल्द रसूल खां हिस्सा 1/4 कल्लू वल्द सामद खां हिस्सा 1/4 का इन्द्राज खतौनी बन्दोबस्त सं0 2008 में खाता सं0 164 पर दर्ज है जिसमें 2 बीघा भूमि तनहा तैयब खां वल्द रहमत खां की है। इसके अलावा भी और भूमि तैयब खां वल्द रहमत खां की रही है। तैयब खां का इन्तकाल सं0 2008 में हो चुका है। तैयब खां के दो पुत्र मुनीर खां व करीब खां हुए। मुनीर खां के वारिस खतौनी नम्बर 1 ता 3 है तथा करीम खॉं के वारिस वादीगण है। तैयब खॉं के इंतकाल के बाद सजरे के अनुसार वादग्रस्त भूमि तैयब खॉं के दोनो पुत्र मुनीर खॉं व करीम खॉं मे सही रूप से विभाजित होनी थी जो नही हुई। करीम खॉं को 35 बीघा 11 बिस्वा दी गई व मुनीर खॉं को 47 बीघा 6 बिस्वा भूमि दी गई। जो गलत है। मुनीर खॉं ने 25 बीघा 15 बिस्वा भूमि नहरी ले ली व करीम खॉं को 20 बीघा 17 बिस्वा भूमि नहरी मिली। इस प्रकार किस्म के अनुसार भी भूमि का विभाजन सही नही हुआ। मुनीर खॉं कर्ता खानदान रहा था। इसलिए उसने फायदा उठाकर अपने नाम ज्यादा भूमि का इन्द्राज करा लिया। संवत 2008 मे करीम खॉं की खातेदारी मे ख0न0 892, 964, 965, 4854, 4855, 4946, 4947, 4957, 5752, कुल रकबा 35 बीघा 11 बिस्वा तथा मुनीर खॉं की खातेदारी मे ख0न0 893, 904, 906, 1179, 1181, 2681, 4945, 5004, 5006, 5010, 4849, 4850, 4981, 893/6051, 1172/673 कुल रकबा 47 बीघा 6 बिस्वा दर्ज है। एकीकरण संवत 2019 मे भी मुनीर खॉं ने पूर्वानुसार भूमि अपने नाम दर्ज करा ली। मुनीर खॉं के नाम एकीकरण संवत 2019 मे ख0न0 586, 609, 1268, 1605, 1622, 1747 कुल रकबा 51 बीघा 14 बिस्वा भूमि दर्ज है जो पूर्व रकबे से भी ज्यादा है। करीम खॉं के नाम ख0न0 511, 1230, 1592, 2528 कुल रकबा 36 बीघा 1 बिस्वा का इन्द्राज रहा है। प्रार्थीगण का व प्रार्थीगण के पिता करीम खॉं का कब्जा प्रार्थीगण के बाबा की सम्पत्ति पर बराबर हिस्सा 1/2 रहा है। हॉल बन्दोबस्त मे प्रार्थीगण के नाम ख0न0 1285, 2508, 2509 कुल रकबा 6.02 है0 दर्ज है। जिसमे प्रार्थी अब्दुल बारी का नाम दर्ज नही है। क्योकि अब्दुलवारी को करीम खॉं ने अपने जीवनकाल मे अलग से भूमि खरीद कर दे दी थी। जिस पर वह काबिज है। ख0न0 5526 रकबा 1.84 है0 का इन्द्राज खातेदारी भी प्रार्थी न0 1 ता 3 व इनकी मॉं जेबुनिशा के नाम रहा है। जेबुनिशा का इंतकाल हो चुका है। प्रार्थीगण के नाम जो भूमि दर्ज हुई है वह गत के मुकाबले कम है। अप्रार्थीगण

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

ग्राम भूमि हॉल ख0न0 2516, 2517, 2518, 2785, 2788, 2789, 2927, कुल रकबा 9.26 है0 की खातेदारी दर्ज है तथा ख0न0 3888, 3889, कुल रकबा 2.12 है0 का इन्द्राज खातेदारी भी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। ख0न0 1279 रकबा 1.05 है0 का इन्द्राज खातेदारी प्रार्थी न0 4 बारी हिस्सा 1/4 अप्रार्थी न0 1 ता 3 व तनवीर हिस्सा 1/6 गयूर हिस्सा 5/12 वगैरा हिस्सा 1/6 दर्ज है। ख0न0 1279 मे प्रार्थी न0 4 का 1/4 हिस्सा है। यह भूमि प्रार्थीगण के बुजुर्गो की भूमि रही है। जिसमे प्रार्थीगण का हित निहित है। हॉल ख0न0 2518 रकबा 0.78 है0 का भूमि एकीकरण मे ख0न0 रकबा 35 बीघा 9 बिस्वा रहा है एवं संवत 2008 मे ख0न0 895 मिन, 896, 897, 898, 904, 905, 964, 965 था। जो सायलान के बाबा तैयब खॉ की भूमि रही है। ख0न0 904, 905, 965 के रकबे से अप्रार्थीगण का रकबा बढा है एवं प्रार्थीगण का रकबा कम हुआ है। इसी प्रकार हॉल ख0न0 4030 रकबा 1.11 है0 का एकीकरण मे ख0न0 1622 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा व एकीकरण से पूर्व ख0न0 5849 रकबा 16 बिस्वा, ख0न0 5850 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, ख0न0 5851/1 रकबा 11 बिस्वा सायलान के बाबा तैयब खॉ की खातेदारी मे दर्ज रहे है। इस प्रकार हॉल ख0न0 4030 रकबा 1.11 है0 ख0न0 2518 रकबा 0.78 है0 का इन्द्राज अप्रार्थीगण का नाम पूर्ण रूप से गलत है जो उनके खाते से कम किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज की जावें। अप्रार्थीगण के खाते मे संवत 2008 के इन्द्राज के अनुसार 11 बीघा 15 बिस्वा भूमि ज्यादा है जो 2.93 है0 होती है। इस प्रकार वर्तमान ख0न0 2518 व 4030 की कुल भूमि 1.89 है0 इसमे से निकालने के बाद भी 1.04 है0 भूमि अप्रार्थीगण के खाते मे ज्यादा रहती है। प्रार्थीगण ने ख0न0 2518 रकबा 0.78 है0 व ख0न0 4030 रकबा 1.11 है0 का इन्द्राज खातेदारी प्रार्थीगण के नाम कराने के लिए कहा तो वे टामलटोल करते रहे तथा अप्रार्थीगण ने कहा कि वे इस गलत इन्द्राज को दुरूस्त नही करायेगें। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य पूर्व मे मुकदमे बाजी चलकर न्यायालय की इजाजत से प्रार्थीगण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। दिनांक 25.7.2018 को भूमि ख0न0 2518व 4030 को खुदबुद करने की धमकी अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को दी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा पाबंद फरमाया जावे कि वे प्रार्थीगण को भूमि ख0न0 2518 रकबा 78 एकड व ख0न0 4030 रकबा 1.11 है0 ग्राम उदेईकलॉ के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावें एवं गलत इन्द्राज की आड मे भूमि को रहन वय, दान नही करे।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (ख0)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 ने अपना जबाब प्रस्तुत किया जिसमे उन्होंने प्रारम्भिक आपत्ति मे अंकित किया है कि मूल रूप से वादग्रस्त व अन्य भूमि खातेदारान की पैतृक भूमि है जो मूल रूप से तैयब के नाम राजस्व रिकार्ड मे रही है। तैयब के दो पुत्र करीम एवं मुनीर रहे है। जिनमे प्रार्थीगण करीम के वारिस है एवं अप्रार्थीगण मुनीर के वारिस है। पैतृक जायदाद का विभाजन संवत 2008 मे मतलब आज से 68 वर्ष पूर्व हो चुका है एवं इसके अनुसार सायलान के पिता करीम व अप्रार्थीगण के पिता मुनीर के नाम अलग अलग भूमि दर्ज हो गई एवं दोनो अपने अपने हिस्से मे आई भूमि पर अलग अलग काबिज हो गये। यानि बंटवारे की पालना मौके पर हो गई। संवत 2008 मे उपजाऊ व अच्छी भूमि प्रार्थीगण के पिता करीम के हिस्से मे आई तथा अनउपजाऊ, पथरीली व रेतीली भूमि अप्रार्थीगण के पिता मुनीर के कब्जे व हिस्से मे आई। जिसे मुनीर ने काफी खर्चा कर उपयोग योग्य बनाया है। करीम व मुनीर के मध्य भूमि विभाजन का कभी कोई विवाद नही रहा। क्योकि दोनो ही भूमि विभाजन से संतुष्ट थे। करीम की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण के बदनियती आ गई है। इसलिए उन्होने यह दावा व टीआई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण ने टी.आई. प्रार्थना पत्र के मद न0 6 मे अंकित किया है कि मुनीर खॉ व करीम खॉ मे सही रूप से भूमि का विभाजन कानूनी रूप से नही हुआ है परन्तु प्रार्थीगण ने प्रस्तुत दावा विभाजन का नही कर इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नही है। भूमि विभाजन के पश्चात एकीकरण सेटिलमेंट आदि सभी कार्यवाहियॉ हो चुकी है। इसलिए दावा मियाद बाहर है। प्रार्थीगण को यह कहने का अधिकार नही है कि 95 प्रतिशत विभाजन सही हुआ है और पॉच प्रतिशत विभाजन गलत हुआ है। भूमि विभाजन के पश्चात दोनो ही पक्ष अपने अपने हिस्से मे आई भूमि मे से कुछ खसरा नम्बरान को बेचकर उन पर खरीदारान का कब्जा करा चुके है एवं जमाबंदी मे भूमि उनके नाम भी दर्ज हो चुकी है। इन लोगो को प्रार्थीगण ने पक्षकार भी नही बनाया है। खसरा नम्बर 2518 व 4030 को अपने नाम करवाने के लिए सायलान ने मुकदमा किया है। जबकि इस भूमि पर इनका संवत 2008 यानि पिछले 68 वर्ष से कब्जा नही है। वादग्रस्त ख0नं0 2518 का साबिक ख0नं0 609 है जिसकी खसरा गिरदावरी सं0 2030 से 2033 में कब्जा काश्त अप्रार्थीगण के पिता मुनीर खां के नाम दर्ज है। इसी प्रकार ख0नं0 4030 का साबिक ख0नं0 1622 तथा खसरा गिरदावरी सं0 2030 से 2033 में

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

भूमि का कब्जा काश्त अप्रार्थीगण के पिता मुनीर खां के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण ने समस्त पैतृक भूमि में से केवल ख0नं0 2518, 4030 का यह दावा प्रस्तुत किया है जिस पर प्रार्थीगण का पिछले 68 वर्ष से रिकार्ड में खातेदारी एवं कब्जा नहीं होना रिकार्ड से साबित है। इस प्रकार प्रार्थीगण का मुकदमा चलने योग्य नहीं है। इस मुकदमे से पूर्व प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण व अन्य के विरूद्ध दावा संख्या 245/2010 उनवानी वाकिव बनाम तनवीर वगैरा इन्हीं तथ्यों के आधार पर किया था जिसमें प्रार्थीगण ने भूमि ख0नं0 2517, 2516, 5001, [illegible] के सम्बन्ध में रिलीफ चाही एवं आल्टरनेटिव में सम्पूर्ण जायदाद का विभाजन चाहा। यह दावा दिनांक 7.5.2018 को खारिज हो गया। प्रार्थीगण के टी0आई0 प्रार्थना पत्र संख्या 82/2010 में वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा माना गया एवं उसके विरूद्ध प्रार्थीगण ने राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील की जो दिनांक 30.11.2017 को खारिज हुई। इसके बाद बदनीयति से यह मुकदमा ख0नं0 2518, 4030 के सम्बन्ध में कर दिया जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की गरज यह मुकदमा प्रस्तुत किया है।

टी0आई0 प्रार्थना पत्र के मदवार जबाब में अप्रार्थीगण ने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए अंकित किया है कि टी0आई0 प्रार्थना पत्र के मद नं0 6 में प्रार्थीगण ने कानूनन विभाजन नहीं होने की बात कही है तो प्रार्थीगण को यह दावा भूमि विभाजन का लाना चाहिए था परन्तु प्रार्थीगण अपनी मनमर्जी से केवल ख0नं0 2578, 4030 के लिए दावा लाए हैं जो चलने योग्य नहीं है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का टी0आई0 प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थीगण ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 ग्राम उदेईकलां ब, उदेईकलां स, फोटोकोपी नकल खतौनी भूमि एकीकरण सं0 2019, फोटोकोपी नकल खतौनी बन्दोबस्त सं0 2008, फोटोकोपी नकल मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण, मु-रब्बा, फोटोकोपी नकल निर्णय दिनांक 7.5.20148 न्यायालय उप जिलाकलेक्टर गंगापुरसिटी आदि प्रस्तुत की हैं ।

जबाब के समर्थन मे अप्रार्थीगण ने फोटोकॉपी नकल निर्णय राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर दिनांक 30.11.2017, फोटोकॉपी नकल निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी दिनांक 17.10.2016, फोटोकॉपी नकल खतौनी जमाबंदी संवत 2019, फोटोकॉपी नकल मिलान क्षेत्रफल मुरब्बा, फोटोकॉपी नकल मिलान क्षेत्रफल बंदोवस्त, फोटोकॉपी नकल

उप जिला कले...
गंगापुर सिटी (स...

जमाबंदी संवत 2065–68, फोटोकॉपी नकल खसरा गिरदावरी संवत 2030–33, फोटोकॉपी नकल निर्णय दिनांक 24.5.06 न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी, फोटोकॉपी नकल दावा मुकदमा उनवानी अब्दुलवारी वगैरा बनाम तनवीर वगैरा न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी, फोटोकॉपी जवाबदावा दिनांक 23.12.2013 प्रस्तुत किये है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक भूमि रही है जिसे अप्रार्थीगण भी स्वीकार करते है। संवत 2008 मे वादग्रस्त भूमि जो कि तैयब खॉ की खातेदारी की रही थी का बिना किसी विधिक आदेश के प्रार्थीगण के पिता मुनीर खॉ व प्रार्थीगण के पिता करीम खॉ के मध्य अलग अलग खातो मे इन्द्राज कर दिया गया। प्रार्थीगण के पिता को हिस्से अनुसार 1/2 हिस्से की भूमि नही दी गई। अप्रार्थीगण का पिता मुनीर खॉ कर्ता हकदान रहा है। इस कारण उसने अपने नाम हिस्से से अधिक भूमि का इन्द्राज करवा लिया। जिसके अनुसार भूमि ख0न0 2518 रकबा 0.78 है0 व भूमि ख0न0 4030 रकबा 1.11 है0 प्रार्थीगण के नाम दर्ज होनी चाहिए। इस भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है परन्तु गलत इन्द्राज की वजह से अप्रार्थीगण इसके कब्जे काश्त मे प्रार्थीगण को मजामहत करते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को पाबंद फरमाया जावें।

अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि वादग्रस्त भूमि का संवत 2008 मे विभाजन होकर भूमि प्रार्थीगण के पिता करीम खॉ एवं अप्रार्थीगण के पिता मुनीर खॉ के नाम अलग अलग दर्ज हो चुकी है। अपने जीवन काल मे ये दोनो इसी अनुसार भूमि को काश्त करते रहे है। अपने जीवनकाल मे इन्हे इस विभाजन से कोई आपत्ति नही थी। अब प्रार्थीगण की नियत मे बईमानी आ गई है। इसलिए उन्होने गलत तथ्यो पर मुकदमा प्रस्तुत कर दिया है। एक ओर तो प्रार्थीगण भूमि के समान विभाजन नही होने की बात कहते है दूसरी ओर मात्र दो खसरा नम्बरो पर ही रिलीफ चाहते है। यह उनकी बदनियती को दर्शाता है। वादग्रस्त दोनो खसरा नम्बरो पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही है। जो अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरी संवत 2030–33 से भी स्पष्ट है। पूर्व मे भी प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध मुकदमा प्रस्तुत किया है। जिसमे रिसीवरी प्रार्थना पत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र मे भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नही माना

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (राज.)

प्रार्थीगण का दावा भी खारिज हो चुका है। वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे मे है। इसलिए प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अनुसार विवादित भूमि पक्षकारो के पूर्वज तैयब खॉ की खातेदारी मे दर्ज रही है जो संवत 2008 मे तैयब खॉ के पुत्र करीम खॉ व मुनीर खॉ के नाम अलग अलग खातेदारी मे दर्ज हो गई है। दो खाते अलग अलग कैसे कायम हुए और कानून की नजर मे इनकी क्या स्थिति है, इसका निर्धारण मूल वाद मे विस्तृत साक्ष्य व सबूत के आधार पर होना है। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र मे मूल रूप से कब्जे की स्थिति देखी जानी है। प्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा होना बताया है परन्तु इसके सम्बन्ध मे कोई प्रमाण प्रस्तुत नही किया है। इसके विपरित वादग्रस्त भूमि के जो साबिक खसरा नम्बर रहे है उनकी नकल खसरा गिरदावरी जो पत्रावली पर उपलब्ध है के अनुसार भूमि पर अप्रार्थीगण के पिता का कब्जा दर्ज है। चूकि प्रस्तुत अभिलेख से यह तो प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण के पूर्वज तैयब खॉ की रही है तथा तैयब खॉ के दो पुत्र करीम खॉ व मुनीर खॉ के मध्य भूमि जो पृथक पृथक दर्ज हुई है। उसका विश्लेषण मूल वाद मे होना है, ऐसी स्थिति मे प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि मे हित निहित होना पाया जाता है। फलस्वरूप हम वादग्रस्त भूमि की मौका व रिकार्ड की स्थिति ताफैसला दावा यथावत बनाये रखना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार निर्णित किया जाता है कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि ख0न0 2518 रकबा 0.78 है0 ग्राम उदेईकलॉ 'ब' एवं ख0न0 4030 रकबा 0.11 है0 ग्राम उदेईकलॉ 'स' की ताफैसला दावा मौका एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 16-3-2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2020.06.25 11:48:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: